संख्या-20/2016/एस-3-194/दस-2016-ब(8)/2015

प्रेषक,

राज रतन,
उपसचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार,उ0प्र0,
जवाहर भवन,लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 11 अप्रैल, 2016

विषय:-अनुदान संख्या-63 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-2017 के बजट को विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर रखे जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च,2016 के क्रम में मुझे यह का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-63 के "लेखाशीर्षक-2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-आयोजनेत्तर-003-प्रशिक्षण-03-वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान" के अन्तर्गत अधिष्ठान व्यय हेतु संलग्नक-1 के अनुसार मदवार प्राविधानित कुल धनराशि रू0 7,29,19,000/-(रूपया सात करोड़ उन्तीस लाख उन्नीस हजार मात्र) व्यय किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- संलग्नक-1 मे उल्लिखित मदवार धनराशियों का प्रदेशन इस शर्त के साथ किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2016-2017 की अवधि में जो व्यय किया जाय वह उपलब्ध धनराशि के अन्दर रहे। प्रदिष्ट धनराशि से किसी भी नई मद में व्यय नहीं किया जायेगा ।

3- इस संबंध में यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त आवंटित धनराशि का व्यय उक्त कार्यालय-संख्या-1/2016-231/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा निर्धारित नियमों/आदेशों/निर्देशों के अनुसार तथा समय-समय पर जारी मितव्ययता सम्बन्धी अन्य आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।

4- उपर्युक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सुसंगत नियमों के अन्तर्गत जिन मदों पर शासन की स्वीकृति अपेक्षित है, उन मदों पर धनराशि व्यय करने से पूर्व अपेक्षित स्वीकृति शासन से प्राप्त कर ली जाये।

5- उक्त पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-63 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-आयोजनेत्तर-003-प्रशिक्षण-03-वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक ईकाइयों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के नामे डाला जायेगा तथा तत्संबंधी उ0प्र0 विनियोग अधिनियम, 2016 द्वारा प्राधिकृत निधि से वहन किया जायेगा ।

संलग्नक यथोक्त

भवदीय,

(राज रतन)
उपसचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद,
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
4- अनुभागीय गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(राज रतन)
उपसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या 20/2016/ एस-3-194/दस-2016-ब(8)/2015

दिनांक 11 अप्रैल,2016 का संलग्नक-1

वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान

अनुदान संख्या-63

लेखाशीर्षक - आयोजनेत्तर

2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन धनराशि (हजार रूपये में)

-003 प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान

क्रमांक	मानक मद	2016-17 में प्राविधानित धनराशि
1	01- वेतन	15800
2	02-मजदूरी	400
3	03-महगाई भत्ता	21488
4	04-यात्रा व्यय	100
5	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	100
6	06-अन्य भत्ते	2180
7	07-मानदेय	50
8	08-कार्यालय व्यय	2000
9	09-विद्युत देय	8500
10	10-जल कर/जल प्रभार	600
11	11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	300
12	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	300
13	13-टेलीफोन पर व्यय	400
14	14-मोटर गाडियों का क्रय	01
15	15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	1200
16	16-व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओ के लिए भुगतान	5000
17	17-किराया,उपशुल्क और कर स्वामित्व	1000
18	18-प्रकाशन	900
19	26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयत्र	500
20	29-अनुरक्षण	3500
21	42-अन्य व्यय	200
22	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	300
23	45-अवकाश यात्रा व्यय	100
24	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	6000
25	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	700
26	49-चिकित्सा व्यय	1200
27	51-वर्दी व्यय	100

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	योग	72919

(रूपया सात करोड़ उन्तीस लाख उन्नीस हजार मात्र)

(राज रतन)
उपसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।